



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क्र.1354.....म.प्र.नि.वि.वि.वि.

भोपाल, दिनांक 18.08.2022.....

प्रति,

कुलसचिव

समस्त निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

(अतिआवश्यक)


विषय :- निजी विश्वविद्यालय के राजपत्र में प्रकाशित समस्त अध्यादेश/परिनियम संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने बावत्।

सन्दर्भ :- म.प्र. उ.शि.वि.मंत्रालय का पत्र क्रमांक 589/60/सीसी/22/अड़तीस, भोपाल दिनांक 04/08/2022

विषयान्तर्गत लेख है कि निजी विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अपने विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश/परिनियम निजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड करें।

नवीन सत्र को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी हित में यह कार्य शीघ्र ही सम्पन्न करें।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)


18/8/2022

(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल

पृ.क्र.म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयो

भोपाल, दिनांक 18.08.2022

प्रतिलिप:

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश कृपया तत्काल कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाइल।


सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 589/60/सीसी/22/अडतीस

भोपाल, दिनांक 04.08.2022


प्रति

✓ सचिव
म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
एक्सीलेन्स कॉलेज के पास कोलार रोड,
भोपाल

विषय:-निजी विश्वविद्यालय के राजपत्र में प्रकाशित समस्त अध्यादेश/परिनियम संबंधित विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

-0-

निजी विश्वविद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अपने विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश/परिनियम विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए निर्देश जारी करते हुए कार्यवाही पूर्ण होना सुनिश्चित करने का अनुरोध है। नवीन सत्र को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी हित में यह कार्य 15 दिवस में सम्पन्न करने का अनुरोध है।


(वीर सिंह भलावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
भोपाल, दिनांक

पृ.क्रमांक /60/सीसी/22/अडतीस
प्रतिलिपि:-

कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर उक्त कार्यवाही तत्काल की जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

DK

स्वीकृत
MMH
16-08-22
DK
Surbant
ST
SD



